उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग
पर दिनांक 13-10-82 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1982 की ऑष्टम
बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी0जे0बीदामजी		अध्यक्ष
(2)	श्री करन सिंह		सदस्य
(3)	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(4)	श्री माता प्रसाद		सदस्य
(5)	श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
(6)	श्री आदित्य कुमार रस्तोगी	सचिव, आवास एवं नगर विकास	सदस्य
(7)	श्री जे0बी0दूबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(8)	श्री ओम प्रकाश विश्नोई	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(9)	श्री त्रिवेणी सहाय	संयुक्त सचिव, वित्त (सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
(10)	श्री आर0एस0माथुर	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 2-9-82 तथा 15-9-82 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1/(1)/82	परिषद की दिनांक 2-9-82 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की गयी:- 1- मद संख्या-22 में यह निर्णय सम्मिलित कर दिया जाय कि ''माटिनपुरवा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ हेतु भार्गव को स्वतः पूर्ण व्यवस्था कर ली जाय।'' 2- मद संख्या-41 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की सातवीं पंक्ति में ''मिली'' के स्थान पर ''मिनी'' कर दिया जाय। 3- मद संख्या-43 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के स्थान पर यह उल्लेख कर दिया जाय कि ''परिषद की बैठक में विचार नहीं हो सका''। 4- मद संख्या-45(पृष्ठ-14) की तेरहवीं पंक्ति में ''कार्ता'' और ''जो'' शब्दों के बीच में ''है'' लिख दिया जाय।

1	2	3	4
		5-परिषद की दिनांक 15-9-82 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की गयी:- 1-''दिनांक 15-9-82 चतुर्थ बैठक''न लिख कर ''पाँचवी बैठक'' लिख दिया जाय। 2-कार्यवृत्त के प्रारम्भ में''यह बैठक परिषद की चौथी बैठक दिनांक 2-9-82 के क्रम में हुई जिसमें अवशेष मदों पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये'' के स्थान पर'' यह बैठक परिषद की चौथी बैठक दिनांक 2-9-82 के क्रम में हुई जिसमें अवशेष मदों पर विचार विमर्श हुआ और 2 नये मदों को लिया गया। विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये''लिख दिया जाय। 3-मद संख्या-21 में लिये गये निर्णय के साथ इस निर्णय का भी उल्लेख कर दिया जाय कि''विधिक दृष्टि से यह देख लिया जाय कि प्रश्नगत अधिनियम में कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज प्राविधान है, के अनुसार प्रस्तावित शिथिलीकरण के लिये छूट मिल सकेगी या नहीं।'' 4-मद संख्या-29 में''परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि''आगे'' वर्ष 67 की नियमावली में जो उपलब्धियों के बारे में सीमा निर्धारण पहले से निश्चित है का पुनरीक्षण किया जाय और फिर परिषद को अवगत कराया जाय। इस प्रयोजन हेतु निम्न सदस्यों की एक उप समिति का गठन किया जाय'' लिख दिया जाए। 5-मद संख्या-45 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के बाद निम्नलिखित निर्णय का उल्लेख किया जाय:- '' पिछली बैठक दिनांक 2-9-82 के मद संख्या-43 जो परिषद की बैठकों के लिये विनियमावली के संशोधन करने से सम्बन्धित है और मद संख्या-44 जो दिनांक 2-9-82 को सम्पन्न हुई मानीटरिंग कमेटी की बैठक की आख्या से सम्बन्धित है को समयाभाव के कारण विचारार्थ नहीं लिया जा सका। इसे शेष मदों में परिषद की अगली बैठक में स्वत: रख दिया जाय''	
2-परिषद की बैठक दिनांक 2-9-82 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	V/(2)/82	परिषद द्वारा दिनांक 2-9-82 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की समीक्षा की गयी और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1-वाहनों के क्रय करने के सम्बन्ध में सचिव, आवास विभाग ने बताया कि शासन इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और शीघ्र ही शासन के निर्णयों से परिषद को अवगत कराया जायेगा। शासन के आदेश शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।	

1	2	3	4

2- सहायक निदेशक (प्रचार) के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक शीघ्र करायी जाय और चयन की कार्यवाही विलम्बतम नवम्बर-1982 माह के अन्त तक पूरी कर ली जाय।

3- कानपुर और वाराणसी इकाईयों के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के सृजन के विषय में सचिव, राजस्व परिषद व सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया जाय और आगरा में नियुक्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी श्री बाबू सिंह बाल्यान के स्थान पर दूसरे अधिकारी की नियुक्ति के लिये सचिव, नियुक्ति विभाग से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाये।

4- मुरादाबाद व अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवासीय गृहों पर किये गये बहुत लम्बे अर्से के गैर कानूनी तथा अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में आवास सचिव महोदय ने बताया कि यह मामला मंत्री परिषद के स्तर पर निर्णयार्थ ले जाया जा रहा है।

5- इन्दिरा नगर लखनऊ में 80 एम0आई0जी0 एम0ए0/75 प्रकार के भवनों को प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन स्वरूप 2 बैठकों का होना मुख्य अभियन्ता, परिषद द्वारा बताया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर शीघ्र उनका अभिमत प्राप्त कर परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत करें।

6- परिषद की निर्मित कालोनीज को नगरीय स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी परिषद को करायी गयी। सचिव, आवास ने बताया कि शासन स्तर पर बैठकें बुलाकर इस समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

7- परिषद के लेखों के समायोजन तथा मिलान एवं लेखा मैनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने यह निर्णय लिया कि यह कार्य निर्धारित सीमा अवधि के भीतर (दिसम्बर-1982 के अन्त तक) प्रत्येक दशा में समाप्त हो जाना चाहिये और परिषद को प्रत्येक बैठक में इन कार्यों की प्रगति अवश्य बतायी जाय।

8- आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम-लश्करपुर में भूमि के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद को समाप्त करने के लिये शासन स्तर पर दिनांक 12-10-82 को हुई बैठक की जानकारी आवास सचिव महोदय ने करायी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उक्त बैठकों में लिये गये निर्णयों से परिषद को शीघ्र अवगत कराया जायेगा।

9- आवास परिषद अधिनियम-1965 में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संशोधनों की पहले एक संहत सूची तैयार कर ली जाय और उसका पुनरीक्षण कर लिया जाय। तदोपरान्त शासन स्तर पर बैठक का अनुरोध किया जाय।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
		10- पिथौरागढ़ तथा मंसूरी के लिये भूमि चयन की कार्यवाही के साथ साथ शासन के पर्वतीय विकास विभाग से इस सम्बन्ध में परामर्श कर लिया जाय कि उक्त स्थानों पर तथा अन्य पर्वतीय स्थानों में कहाँ परिषद को आवासीय योजनायें चलानी आवश्यक होगी। 11- रानीखेत योजना के लिये चयनित स्थल की जाँच स्क्रीनिंग समिति से कराकर परिषद के अनुमोदनार्थ अगली बैठक में रखा जाय। 12- गोपेश्वर जिला चमोली में स्थल चयन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराकर स्क्रीनिंग समिति द्वारा उसका परीक्षण कराकर परिषद के अनुमोद-नार्थ अगली बैठक में अवश्य रखा जाय। 13- हरिद्वार तथा काशीपुर नगरों के लिये आवासीय योजनाओं के प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालयों से अविलम्ब प्राप्त किया जाय और अग्रेतर कार्यवाही की जाय। 14- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के संबंध में अन्य प्रदेशों के आवास एवं विकास परिषदों से सूचनायें मंगाकर सम्यक आख्या परिषद के समक्ष अगली बैठक में रखी जाय। 15- परिषद की भवन निर्माण विनियमावली के सम्बन्ध में गठित उप समिति की बैठक शीघ्र कराकर उप समिति की आख्या तथा संस्तुतियाँ परिषद की अगली बैठक में रख दी जाय। 16- बाराबंकी तथा शामली (जिला-मुजफ्फरनगर) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजनाओं के सम्बन्ध में की जा रही जाँच की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर परिषद को तथ्यों से अवगत कराया जाय। 17- नैनीताल की विभिन्न आवासीय योजनाओं के सम्बन्ध में शासन के पर्वतीय विकास विभाग तथा आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल का विचार बिना और विलम्ब किये प्राप्त किया जाय और परिषद की अगली बैठक में रखा जाय। 18- मोदीनगर में हापुड़ रोड पर योजना चलाने के लिये प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय से अविलम्ब प्राप्त किये जायें और अग्रेतर कार्यवाही के उपरान्त प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ स्क्रीनिंग समिति की आख्या सहित रखा जाय। 19- निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के लिये कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लाये जा रहे विस्तृत प्रोग्राम पर आवश्यक विवरण आख्या सहित परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किया जाय। 20- दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के भवनों का आवंटन छत पड़ने के तुरन्त बाद कर दिया जाय। 21- दुर्बल आय वर्ग के भवनों में सीमेंट की कैल के स्थान पर जैक आर्च की छत डालने के बारे में मुख्य अभियन्ता ने बताया कि निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की से कुछ	

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			बातें स्पष्ट करनी हैं। यह निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता सी०बी०आर०आई० के निदेशक श्री मंगल से जो 18 अक्टूबर-1982 को आ रहे हैं, इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करलें और निष्कर्षों से परिषद को अगली बैठक में अवगत करायें।
			यह भी निर्णय लिया गया कि दुर्बल आय वर्ग के लिये कुछ नयी डिज़ाइनें तैयार कराई जाय जिसमें सार्वजनिक सुविधायें एक स्थान पर दी जा सके। मुख्य अभियन्ता और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो अन्य प्रदेशों में अपनाये गये नई डिज़ाइनों को देख लें और अपनी सुविचारित आख्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें।
			22- गोरखपुर नगर में स्वयं वित्त पोषित उच्च आय वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत विशेष पंजीकरण अविलम्ब खोला जाय और पंजीकरण के उपरान्त पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
			23- चौक क्षेत्र में महात्मा गांधी स्मारक हास्पिटल से जो सड़क लखनऊ सिटी स्टेशन को जाती है वहाँ सिल्वर जुबली नर्सिंग संस्थान के पीछे तथा उसके आस-पास की भूमि के सम्बन्ध में स्थानीय निरीक्षण का प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाय।
			24- लखनऊ में माननीय विधायकों के लिये स्वयं वित्त पोषित आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास-गृहों के निर्माण की प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में शासन के आदेश शीघ्र प्राप्त किये जायें।
			25- सुल्तानपुर नगर की आवासीय योजनाओं के सम्बन्ध में धारा-28 का प्रस्ताव स्क्रीनिंग समिति के परीक्षण के उपरान्त परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।
			26- खीरी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखीमपुर खीरी में समाविष्ट कैथोलिक डायसिस की भूमि के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त के स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी करायी जाय।
			27- देवपुर पारा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ तथा राजाजीपुरम अप्रोच रोड योजना परिषद के समक्ष अविलम्ब रखी जाय।
			28- वर्ष-1974-75 के बाद के परिषद के विभिन्न वर्षों का बजट और लेखा चिट्ठा जो विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे उसे शीघ्र रखवाने की व्यवस्था की जाय।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			29- वर्ष-1982-83 के प्रत्येक त्रैमास में होने वाले आय व्यय के आंकड़े और मोटे मदवार व्यय की स्थिति परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाय।
			30- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना कानपुर की भूमि के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न की जाय।
			31- इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-5 व 6 के बीच ग्रीन बेल्ट में तथा परिषद की अन्य योजनाओं के ग्रीन बेल्ट में कितने प्रतिशत भूमि पर निर्माण कार्य हेतु अनुमति दी गयी है इसका आंकलन करके पूर्ण विवरण परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
			32- बाँदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बाँदा में समाविष्ट खसरा नं0-972 के सम्बन्ध में लम्बित जाँच की कार्यवाही शीघ्र पूरी करायी जाय।
			33- शाहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शाहाबाद जनपद हरदोई में से शाहाबाद तहसील से सम्बन्धित राजस्व भवन के निर्माण हेतु भूमि की जो माँग जिलाधिकारी,हरदोई द्वारा की गयी है उसके बारे में अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त के स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी करायी जाय और उसकी आख्या परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।
			34- परिषद की विभिन्न योजनाओं में पहले से हुये निर्माण कार्य के साथ भूमि छोड़ने हेतु जो मार्ग दर्शन निर्देशों के बारे में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से प्राप्त किये जाने हैं उसे शीघ्र प्राप्त कर परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
			35- इन्दिरा नगर योजना के अन्तर्गत निर्मित बैंक चबूतरों के आवंटन की कार्यवाही नवम्बर-1982 के अन्त तक अवश्य समाप्त की जाय।
			36- आन्तरिक सम्परीक्षण अनुभाग के विस्तार के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन कराने के उपरान्त परिषद के सूचनार्थ रखा जाय।
			37- दोहरी घाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना आज़मगढ़ के सम्बन्ध में सचिव, आवास एवं नगर विकास के स्तर पर प्रस्तावित बैठक शीघ्र करायी जाय और बैठक में लिये गये निर्णयों से परिषद को अवगत कराया जाय।
			38- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियम-1973 को सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के लिये लागू करने के सम्बन्ध में विनियमावली का आलेख्य परिषद के विचारार्थ शीघ्र प्रस्तुत किया जाय।
			39- हापुड़-गाज़ियाबाद मार्ग पर आवास योजना संख्या-1, पिलखुआ के सम्बन्ध में जो स्लेज फार्म पर रिहायशी योजना चलाने का प्रस्ताव है पर प्रबन्ध निदेशक, जल निगम का प्राविधिक अभिप्राय जान लिया जाय।
			40- मालू स्वेच्छ योजना लखनऊ में निर्मित भवनों के आवंटन की प्रक्रिया आदि का पूर्ण विवरण

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
			41- अध्यक्ष, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद को समस्त उपलब्धियों के बारे में विचार करने हेतु गठित उप समिति की आख्या एवं संस्तुति परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।
			42- इलाहाबाद में श्रीमती माजिदा बेगम को भवन प्रदेशन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त जिलाधिकारी से पूर्ण विवरण प्राप्त कर परिषद के समक्ष विचारार्थ रखेंगे।
			43- परिषद के रिवाल्विंग फण्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण कारपोरेट प्लान के परिप्रेक्ष्य में शीघ्र कराया जाय तथा उसे मानीटरिंग कमेटी की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
			44- एक्जीक्यूटिव ट्रेनिज़ की नियुक्ति के सम्बन्ध में विज्ञापन निकालकर शीघ्र चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय।
			45- हडको से ऋण लेने के सम्बन्ध में शासन द्वारा ली जा रही गारंटी शुल्क से छूट प्राप्त करने के विषय में शासन के आदेश शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।
			46- परिषद के निर्णयानुसार परिषद के प्रयोगार्थ फोटोस्टेट मशीन क्रय करने की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करायी जाय।
			47- अवशेष रिक्त सम्पत्तियों के आवंटन के संबंध में परिषद द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विनियम में संशोधन का आलेख्य अगली बैठक में रखा जाय।
			48- श्री एस0बी0बंसल, अधीक्षण अभियन्ता के कार्यकाल में निर्मित इन्दिरा नगर लखनऊ के सेक्टर-3 में एम0ए0/75 प्रकार के 80 भवन (मध्यम आय वर्ग) के प्राविधिक परीक्षण के उपरान्त श्री बंसल के विरुद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त द्वारा लिये गये निर्णयों से परिषद को अवगत कराया जाय।
3-20 सत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों तथा अन्य प्रकार के कार्यों की समीक्षा।	प/(3)/82		इस सम्बन्ध में मानीटरिंग कमेटी की बैठक में हुये विचार विमर्श तथा संस्तुतियों से परिषद को अवगत कराया गया। परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि वर्ष-1982-83 में उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत भवनों के निर्माण का जो लक्ष्य है उसे प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत पूरा किया जाय और इस कार्य में किसी भी स्तर से कोई ढिलाई न की जाय। 2- यह भी निर्णय लिया गया कि कारपोरेट प्लान के अनुसार जितनी भूमि अगले वर्षों में विकसित की जानी है उसी को आधार मानते हुये भूमि अध्याप्ति के लक्ष्य का निर्धारण किया जाय। 3- भूमि विकास कार्य की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुये यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष-1982-83 में विकास कार्य के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस पर शीघ्र विकास कार्य प्रारम्भ किया जाय। 4- भवन निर्माण कार्य हेतु भूमि की अनुपलब्धता पर योजनायें उन स्थानों पर स्थानान्तरित कर दी जायें जहाँ भूमि उपलब्ध हो और पर्याप्त संख्या में पंजीकृत व्यक्ति हों। कृ0प0उ0

		5-वित्तीय वर्ष-1982-83 के लिये निर्धारित किये गये भवन जिन पर अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है उन पर माह नवम्बर तक प्रत्येक दशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय।
4-परिषद में वेतनमान रु0 1600-2000 में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	V/(4)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त परिषद में वित्त सलाहकार एवंमुख्य लेखा अधिकारी के नये पदनाम के पद पर एक वरिष्ठ उप महालेखाकार के स्तर के किसी उपयुक्त अधिकारी को महालेखाकार के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर लेने की सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गई।
5-परिषद के अधीन कार्यरत वृत्त/खण्ड/इकाइयों को वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	V/(5)/82	इस मद को विचारार्थ नहीं रखा गया।
6-स्वंय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण के सम्बन्ध में।	V/(6)/82	स्वंय वित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रस्तावित भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक कुल कार्यवाही की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने सर्वसम्मति से योजना को स्वीकृति प्रदान की।
7-ट्रान्सपोर्ट नगर योजना सं0-2 मेरठ में आवंटित 4 भूखण्डों की दर के सम्बन्ध में।	V/(7)/82	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया।
8-दमदमा कोठी, मुरादाबाद में प्रस्तावित उच्च आय वर्ग(एच0-4/79 प्रकार) के 12 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	V/(8)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि कोर्टयार्ड वाल, बाउन्ड्री वाल तथा स्टील गेट के निर्माण का कार्य भी शामिल कर लिया जाय और तदनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना के लिये हडको अथवा अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। उपरोक्त स्रोतों से धनराशि न मिलने पर परिषद फण्ड से यह कार्य कराया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी अवस्था में जब कि यह निर्माण परिषद फण्ड से हो तो उसका आवंटन एक मुश्त धनराशि के अदायगी के आधार पर किया जाये।
9-दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मुरादाबाद में उच्च आय वर्ग के 2/81/आर0प्रकार के 40 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	V/(9)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि कोर्टयार्ड वाल, बाउन्ड्री वाल तथा स्टील गेट के निर्माण का कार्य भी शामिल कर लिया जाय और तदनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना के लिये हडको अथवा अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। उपरोक्त स्रोतों से धनराशि न मिलने पर परिषद फण्ड से यह कार्य कराया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी अवस्था में जब कि यह निर्माण कार्य परिषद फण्ड से हो तो उसका आवंटन एक मुश्त धनराशि की अदायगी के आधार पर किया जाये।

क0प0030

1	2	3	4
10-	दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मुरादाबाद में अल्प आय वर्ग के 336 भवनों का निर्माण।	V/(10)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि इन भवनों को अल्प आय वर्ग के स्थान पर मिनि मध्यम आय वर्ग में रखा जाय।
11-	नीलपुरा योजना, वाराणसी में प्रस्तावित शापिंग-कम-आफिस काम्पलेक्स का निर्माण।	V/(11)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य हेतु यदि हडको से ऋण मिल सके तो ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया जाय अन्यथा दुकानों तथा कार्यालय भवन आदि की नीलामी अभी से करके योजना चलाने हेतु पर्याप्त अग्रिम धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की सम्मति प्राप्त कैर ली जाय।
12-	हल्द्वानी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 हल्द्वानी के मध्यम आय वर्ग(एम0-2/79) के 5 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	V/(12)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य हेतु हडको से ऋण लेने का प्रयास किया जाय।
13-	हल्द्वानी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 हल्द्वानी में अल्प आय वर्ग के एल0-2/79 प्रकार के 14 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	V/(13)/82	परिषद ने इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
14-	प्रथम हडको कम्पोजिट परियोजना के अन्तर्गत कुर्सी रोड योजना, लखनऊ के सेक्टर-1 एवं 3 में प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग के 15/40 प्रकार के 652 अल्प आय वर्ग के 18/56 प्रकार के 281 तथा मध्यम आय वर्ग के 43/120 प्रकार के 70 भवनों का निर्माण।	V/(14)/82	परिषद व्दारा दिये गये प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि कुर्सी रोड योजना के अन्तर्गत जो भवन आगे के लिये प्रस्तावित हों वह बहुखण्डीय हों।
15-	नेहरू नगर योजना सं0-1 देहरादून में हडको परियोजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के डब्ल्यू0-3/79 प्रकार के भवनों का निर्माण।	V/(15)/82	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ स्वीकार किया कि 5% इस्कलेशन चार्जेस को स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
16-	रूद्रपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, रूद्रपुर में प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग के एम0-3/79 प्रकार के 62 भवनों के निर्माण के संबंध में।	V/(16)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
17-	किच्छा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, किच्छा (जिला-नैनीताल) क्षेत्रफल 48·50 एकड़, अनुमानित लागत 68·45 लाख लगभग)	V/(17)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
18-	इन्दिरा नगर योजना सेक्टर-6 लखनऊ में परिषद कर्मचारियों हेतु प्रस्तावित एल०-7/81 प्रकार के 48 भवनों के निर्माण के संबंध में।	V/(18)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि हडको की रेन्टल स्कीम के अन्तर्गत इस कार्य हेतु ऋण लेने का प्रयास किया जाय।
19-	चतुर्थ हडको संयुक्त परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर योजना-1, गोरखपुर में प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग के डब्लू०-4/79 प्रकार के 190, अल्प आय वर्ग के एल०-4/79 प्रकार के 58 तथा मध्यम आय वर्ग के एम०-3/79 प्रकार के 50 भवन का निर्माण।	V/(19)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
20-	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-20 में उच्च आय वर्ग 95/253 प्रकार के 224 भवनों का निर्माण।	V/(20)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि स्वयं वित्त पोषित योजनान्तर्गत जिन व्यक्तियों का पंजीकरण 15-10-82 तक किया जा रहा है उनको छोड़कर शेष इस वर्ग के भवन का निर्माण 242 (11x22 मीटर) वर्ग मीटर के शुभेत्र में ही कराया जाय।
21-	प्रथम हडको कम्पोजिट परियोजना इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ में सेक्टर-9 एवं 12 में प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग के 15/40 प्रकार के 1018, अल्प आय वर्ग के 18/56 प्रकार के 490 एवं मध्यम आय वर्ग के 43/120 प्रकार के 120 भवनों का निर्माण।	V/(21)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि दुर्बल आय वर्ग के भवन जो इस योजना के अन्तर्गत बनाये जायें उनमें भी ऐसा चिन्ह बनाया जाय जिस पर छत डाली जाय और तदनुसार कार्यवाही हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाय।
22-	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-6 में उच्च आय वर्ग 95/253 प्रकार के 31 भवनों का निर्माण।	V/(22)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
23-	प्रथम हडको मध्यम आय वर्ग परियोजना के अन्तर्गत राजपुर रोड योजना देहरादून में प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग के एम०-3/79 प्रकार के 182 भवनों का निर्माण।	V/(23)/82	परिषद की अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित।
24-	अंगूरी बाग योजना, फैजाबाद में परिषद परियोजना के अन्तर्गत एक मध्यम आय वर्ग एम०सी०/77/आर०टाईप, 3 अल्प आय वर्ग एल०-2/79 आर०टाइप एवं 14 दुर्बल आय वर्ग डब्लू०-2/79/1 टाईप के भवनों का निर्माण।	V/(24)/82	परिषद की अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित।
25-	परिषद की योजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों को सामान्य प्रदेशन तथा अवशेष रिक्त सम्पत्तियों के प्रदेशन में शीर्ष वरीयता देने के संबंध में।	V/(25)/82	परिषद की अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
26-श्री बी०आर०पी०सिंघल, विधि अधिकारी को एक मध्यम आय वर्ग का भवन आउट आफ टर्न आवंटित करने के सम्बन्ध में।	V/(26)/82	परिषद की अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित।	
27-2 प्रतिशत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु प्रस्ताव।	V/(27)/82	परिषद की अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित।	
28-इन्दिरा नगर आवास योजना लखनऊ में निर्मित दुर्बल आय वर्ग I/75 प्रकार के 308 भवनों के क्षेत्र में मिट्टी की कटाई में हुई अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई आर्थिक क्षति रु० 3307/= की वसूली से सम्बन्धित कार्यालय आदेश सं०-3216/प्रशा०-एक-167 दिनांक 26-11-81 के विरुद्ध श्री बी०एस०शर्मा, सहायक अभियन्ता की अपील दिनांक 8-2-82 के संबंध में।	V/(28)/82	परिषद की अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित।	
29-आपसी वार्ता द्वारा भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	V/(29)/82	परिषद की अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित।	
30-परिषद के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	V/(30)/82	परिषद की अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित।	
31-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	V/(31)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया:- 1- दुर्बल आय वर्ग हेतु जो भवन बनाये जा रहे हैं उनमें भूमि के मूल्य में सब्सिडी देने के लिये एक विस्तृत टिप्पणी अगली बैठक में रखी जाय। 2- परिषद की योजनाओं के जो ले-आउट बनाये जायें उनके संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का भी अभिमत प्राप्त कर लिया जाय। 3- परिषद द्वारा जो भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं उनमें 5 वर्ष की निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ न हुआ हो तो नोटिस तुरन्त जारी की जाय तथा ऐसे भूखण्डों की संख्या योजनावार परिषद की अगली बैठक में रखी जाय। 4- किस्त क्रय पद्धति पर आवंटित भवनों के किस्तों की वसूली की सूचना संकलित करा कर वसूली की स्थिति से परिषद को अवगत कराया जाय।	

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गई

23/11/1982

अध्यक्ष